परिपत्र

पत्रांक 177/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनुभाग/वाणिज्य कर/09–10/देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादूनः:दिनांक 20 अप्रैल,2009

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी।

उत्तराखण्ड वैट अधिनियम की **धारा 4 (7)** में निर्माता इकाईयों के लिए मान्यता प्रमाण पत्र का प्राविधान रखा गया है। उत्तराखण्ड वैट नियमों के **नियम 23** में **फार्म–11** जारी किये जाने व प्रस्तुत किये जाने से संबधित नियमों का प्राविधान है। इस नियम के **उप नियम (4)** में यह भी प्रतिबन्धित है कि एक **फार्म–11** एक वित्तीय वर्ष की अधिकतम रु0 5–00 लाख तक की धनराशि के लिए जारी हो सकता है। इस प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में यह तथ्य प्रकाश में आया है। कि कुछ बडी निर्माता इकाईयों जैसे सर्वश्री बजाज आटो लि0, सर्वश्री टाटा मोटर्स लि0 आदि के द्वारा अधिकतर माल अपने वैण्डर्स से क्रय किया जाता है। जो उत्तराखण्ड राज्य में ही स्थित हैं। यह माल मान्यता प्रमाण पत्र के विरुद्ध ही खरीदा जाता है। उक्त प्रतिबन्ध के कारण इन इकाईयों द्वारा हजारों की संख्या में **फार्म–11** की मॉग की जा रही है। इस अधिक संख्या में **फार्म–11** कार्यालय से प्राप्त करने एवं कर निर्धारण के समय प्रस्तुत करने पर इनकी समुचित जॉच सम्भव नही है।

अतः उक्त स्थिति के परिपेक्ष्य में वैट अधिनियम, 2005 के **नियम 4 (2)** में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसी निर्माता इकाइयॉ जिनकी वार्षिक बिक्री **रु0 10–00** करोड से अधिक है, द्वारा एक तिमाही के समस्त नक्शे (समस्त संलग्नकों सहित) प्रस्तुत कर दिए हैं तथा देय कर जमा करा दिया है, तो उनके नक्शे व कर की जॉच कर यदि कर निर्धारण अधिकारी उचित समझते है तो व्यापारी द्वारा तिमाही की खरीद की सूची प्रस्तुत किये जाने पर **बिना किसी मौद्रिक सीमा के फार्म–11** जारी किये जा सकते हैं। इस प्रकार से जारी फार्मो के पृष्ठ भाग में खरीद का विवरण अंकित कर दिया जाए तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस विवरण के नीचे हस्ताक्षर करते हुए फार्म पर यह भी अंकित करेंगें कि "**यह फार्म रु0..... की खरीद के लिए मान्य है।**"

उक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(एल0एम0 पन्त)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पु0प0सं0 177 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।

3— एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।

4— एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

5— समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6— ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।

7— ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।

8— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करे।

9—श्री राकेश वर्मा, महासचिव, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ 2/5 आर्शीवाद इनकलेव देहरादून।

10—पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय आई0आई0टी0 रूडकी।

11—संख्या—अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दे।

12—इन्टावैट ईन्फो प्रा0 लि0 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर0 सिधुआ मार्ग मुम्बई—400001।

13—नेशनल लॉ हाउस बी—2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिग अम्बेडकर रोड़ गाजियाबाद।

14—नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस—15/5 राजनगर गाजियाबाद।

15—लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रट कम्पाउण्ड़ राजनगर गाजियाबाद।

16— स्थापना—अनुभाग मुख्यालय।

17—डिप्टी कमिश्नर (उ0न्याय0कार्य) वाणिज्य कर नैनीताल।

18—दी होलसेल डीलर्स एसो0 14, आढ़त बाजार देहरादून।

19—कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।

20—विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

20/4/2009

आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून।